ओमनाकुट्टन

बनाम

केरल राज्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 873)

मई 09, 2019

[न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी]

दंड संहिता, 1860: धारा 326 - खतरनाक साधनों से गंभीर चोट - एसिड अटैक - अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी-आरोपी नंबर 2 के साथ मिलकर पिछली दुश्मनी के कारण पीड़ित पर एसिड डाला, जिसके कारण पीड़ित को माथे, खोपड़ी, गर्दन, छाती के पीछे से भारी एसिड जल गया, जैसा कि घाव प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है - पीड़ित 50 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा - धारा 326 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता-अभियुक्त नंबर 1 को दोषी ठहराया गया और एक के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। अपीलकर्ता की आरोपी नंबर 2 पत्नी ने हालांकि, अपराध से बरी कर दिया - उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि की - अपील पर, कहा: यह तथ्य कि पीड़ित के शरीर के बाईं ओर व्यापक एसिड जल गया था, पीड़ित और उसकी मां की गवाही और डॉक्टर पीडब्ल्यू -8 की गवाही में विधिवत साबित हुआ - यह मानना अवास्तविक था कि सिर से जांघ तक और लंबे समय तक इतनी व्यापक एसिड जलने की चोटों के साथ भी। अस्पताल में भर्ती होने के बाद, पीड़ित को 20 दिनों से अधिक समय तक गंभीर शारीरिक दर्द नहीं हो सकता है - अधीनस्थ न्यायालयों के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी रिकॉर्ड पर सामग्री की पूरी तरह से जांच की और अपीलकर्ता के खिलाफ समवर्ती निष्कर्ष लौटाए - इस तरह के निष्कर्षों में कोई दुर्बलता या विकृति नहीं थी - एसिड के उपयोग से गंभीर चोट पहुंचाने का कार्य, अपने स्वभाव से, एक भयानक और भयानक है, जो गंभीर शारीरिक दर्द पैदा करने के अलावा, पीड़ित के लिए निशान और अनकहे स्थायी दुख छोड़ देता है - विधायिका ने इस तरह के अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, 2013 के अधिनियम संख्या 13 के माध्यम से, आईपीसी की धारा 326 ए और 326 बी को जोड़ा है, जिसमें एसिड के उपयोग और स्वेच्छा से फेंकने से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के अपराधों के लिए न्यूनतम कारावास के साथ उच्च सजा का प्रावधान है। या तेजाब फेंकने का प्रयास - हालांकि, तथ्य यह है कि अपराध वर्ष 1997 में किया गया था और आरोपी-अपीलकर्ता 63 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, ऐसी परिस्थितियों में, इस मामले में सजा बढ़ाने का कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

अपील को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा:

1. यह तथ्य कि अपीलकर्ता ने पीड़ित के शरीर पर तेजाब डाला, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से परे साबित हुआ, जिसमें पीड़ित पीडब्ल्यू -1 और उसकी मां पीडब्ल्यू -2 की गवाही भी शामिल है। डॉक्टर पीडब्ल्यू-8 की गवाही के साथ पढ़ी गई उसकी गवाही में यह तथ्य भी साबित हुआ कि पीड़ित के शरीर के बाईं ओर तेजाब से काफी जलन हुई थी। अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में कोई खामी या विकृति नहीं थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 326 में खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट पहुंचाने

के लिए सजा का प्रावधान है। अपीलकर्ता द्वारा उस पर डाले गए एसिड के प्रभाव के कारण पीड़ित को चोटें आईं। एसिड निस्संदेह धारा 326 आईपीसी के अर्थ के भीतर एक संक्षारक पदार्थ था। पीड़िता 50 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रही। यह कहना पूरी तरह से अवास्तविक होगा कि उसके शरीर के बाएं हिस्से में सिर से जांघ तक इतनी व्यापक एसिड बर्न चोटों और लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद, पीड़ित को 20 दिनों से अधिक की अवधि के लिए गंभीर शारीरिक दर्द नहीं हो सकता है। पीड़ित ने अपने परीक्षा-इन-चीफ में यह भी कहा कि वह अस्पताल में भर्ती होने के दौरान अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा करने में असमर्थ था; और पीड़िता के इस तरह के दावे को चुनौती देने के लिए क्रॉस-एग्जामिनेशन में कोई सुझाव नहीं दिया गया था। इन सबसे ऊपर, ट्रायल कोर्ट ने विशेष रूप से इस तथ्य पर ध्यान दिया कि पीड़ित को सिर पर स्थायी विकृति का सामना करना पड़ा था, जब अदालत में उसकी जांच की गई थी। दी गई परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों में, डॉक्टर पीडब्ल्यू -8 का यह बयान कि रोगी अस्पताल में इलाज के दौरान बिना किसी सहायता के अपने दैनिक कार्यों को पूरा कर सकता है, इस मामले के सार को दूर नहीं करता है कि मामला स्पष्ट रूप से धारा 320 आईपीसी के खंड 'छठे' और 'आठवें' के तहत शामिल था। वास्तव में, यहां तक कि डॉक्टर पीडब्ल्यू -8 ने कहा कि त्वचा के ठीक होने के दौरान कोई तत्काल विकृति नहीं थी; और यह कि निशान केवल बाद में विकसित होंगे। [पैरा 7, 9, 10 और 10.1] [487-सी-ई; 488-सी; एफ-एच; 489-A-C]

2. एसिड के उपयोग से गंभीर चोट पहुंचाने का कार्य, इसकी प्रकृति से, एक भयानक और भयानक है, जो गंभीर शारीरिक दर्द पैदा करने के अलावा, पीड़ित के लिए निशान और अनकहे स्थायी दुख छोड़ देता है। विधायिका ने इस तरह के अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, 2013 के अधिनियम संख्या 13 के माध्यम से, आईपीसी की धारा 326 ए और 326 बी को जोड़ा है, जिसमें एसिड के उपयोग से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने और स्वेच्छा से एसिड फेंकने या फेंकने का प्रयास करने के अपराधों के लिए न्यूनतम कारावास के साथ उच्च सजा का प्रावधान है। यद्यपि वर्तमान मामला वर्ष 1997 में किए गए अपराध से संबंधित है, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए, इस मामले में दी गई सजा प्रथम दृष्टया अपर्याप्त प्रतीत होती है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से तथ्यों को देखते हुए कि अपराध वर्ष 1997 में किया गया था और आरोपी-अपीलकर्ता को अब 63 वर्ष की आयु का बताया गया है, मामला केवल उसी पर छोड़ दिया गया है। [पैरा 11 और 12] [489-सी-जी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की आपराधिक अपील संख्या 873।

2004 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 2859 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 05.06.2018 के निर्णय और आदेश से।

थॉमस पी. जोसेफ, वरिष्ठ अधिवक्ता, के. परमेश्वर, सुश्री रजिता टी.एच., सुश्री बेनी एंटनी, सुरिंदर कुमार गुप्ता, अपीलकर्ता के वकील।

प्रतिवादी की ओर से वकील निशे राजेन शोन्कर, अनु के. जॉय, अलीम अनवर, रीगन एस. बेल।

अदालत का फैसला न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने सुनाया।

1. अपील की अनुमति दी गई।

2. इस अपील में, अभियुक्त-अपीलकर्ता ने 2004 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 2859 में दिनांक 05.06.2018 के निर्णय और आदेश पर सवाल उठाया है, जिसके तहत एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय ने 2002 के आपराधिक अपील संख्या 253 में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, थोडुपुझा द्वारा पारित 23.09.2004 के फैसले और आदेश को बरकरार रखा। इडुक्की ने 1999 की सीसी संख्या 126 में कहा कि अभियुक्त-अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 326 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया था और उसे एक वर्ष के साधारण कारावास के साथ 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

3. वर्तमान उद्देश्य के लिए अब तक प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलुओं को संक्षेप में, निम्नानुसार देखा जा सकता है:

3.1. अभियोजन पक्ष का मामला यह रहा है कि आरोपी-अपीलकर्ता और घायल पीड़ित सुनील कुमार (पीडब्ल्यू -1) पड़ोसी थे। 26.11.1997 को शाम लगभग 6 बजे, जब पीड़ित पीडब्ल्यू -1 मन्नथारा-थोप्रामकुडी पंचायत रोड से गुजर रहा था, अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी (आरोपी नंबर 2) के साथ सड़क के बाईं ओर एक रिज से पीड़ित पर एसिड डाला। कथित तौर पर, अपीलकर्ता और पीड़ित के बीच पुरानी दुश्मनी थी, जिसके कारण, अपीलकर्ता ने एसिड डाला, जिससे पीड़ित के सिर, गर्दन, कंधे और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं। आरोपियों के खिलाफ 1997 के अपराध संख्या 94 में मुरीक्कास्सेरी पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक द्वारा धारा 326 और धारा 34 आईपीसी के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। इस मामले की सुनवाई 1999 के सीसी नंबर 126 में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा की गई थी, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाहों से पूछताछ की गई थी।

3.2. घायल पीड़ित पीडब्ल्यू -1 ने अपनी गवाही में कहा कि आरोपी-अपीलकर्ता ने उस पर पीले रंग की बाल्टी से लाल रंग का तरल डाला, जब वह थोप्रामकुडी से वापस आ रहा था; कि शरीर के बाईं ओर ऊंचाई से उस पर तरल डाला गया था, जिसके कारण, उसका शरीर जलने लगा, उसने अपनी शर्ट और धोती फाड़ दी और चिल्लाया; उसकी मां (पीडब्ल्यू -2) रोते हुए उसके पास आई; वे एक चाय की दुकान की ओर भागे; और पीडब्ल्यू -4 और पीडब्ल्यू -एस 5 उसे अस्पताल ले गए जहां वह 3 महीने तक रोगी के रूप में रहा। इस सवाल के जवाब में कि क्या वह उन 3 महीनों के दौरान अपनी दैनिक दिनचर्या को खुद से करने में सक्षम थे, उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया। पीडब्ल्यू-1 की गवाही की पुष्टि उसकी मां पीडब्ल्यू-2 ने की, जो घटना के समय उसके पीछे कुछ कदम चल रही थी। इसके अलावा, गवाहों पीडब्ल्यू -3, पीडब्ल्यू -4 और पीडब्ल्यू -5 ने भी कहा कि उन्होंने पीड़ित को चाय की दुकान की ओर भागते हुए देखा था।

3.3. पीड़ित के इलाज करने वाले डॉक्टर, पीडब्ल्यू -8 ने कहा कि पीड़ित की जांच 26.11.1997 को शाम लगभग 7.45 बजे की गई थी और पीड़ित के शरीर के बाईं ओर एसिड बर्न मौजूद था, जिसमें माथे, खोपड़ी और गर्दन, छाती के पीछे, बाएं नितंब और बाईं जांघ के सामने; कि पीड़ित एक रोगी रहा और उसे 18.01.1998 को छुट्टी दे दी गई। उन्होंने आगे कहा कि घायल क्षेत्र के विकृत होने की संभावना थी। क्रॉस-एग्जामिनेशन में, डॉक्टर ने कहा कि पीड़ित इलाज के दौरान अपने दैनिक मामलों को आगे बढ़ा सकता है; कि घाव प्रमाण पत्र (प्रदर्शनी पी / 5) खींचने के समय कोई विकृति नहीं थी क्योंकि त्वचा ठीक हो रही थी और निशान केवल बाद में विकसित होंगे। बचाव में आरोपी ने एक गवाह डीडब्ल्यू-1 से पूछताछ की, जिसने सुझाव दिया कि घटना की तारीख पर, अपीलकर्ता शाम 6 बजे तक अपने घर में बढ़ई का काम कर रहा था।

3.4. संबंधित साक्ष्यों की जांच करने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अपने दिनांक 04.12.2002 के निर्णय और आदेश द्वारा अपीलकर्ता को धारा 326 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। हालांकि, अपीलकर्ता की पत्नी आरोपी नंबर 2 को उसके खिलाफ सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था।

3.5. अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील को दिनांक 23.09.2004 के निर्णय और आदेश द्वारा इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया था कि संक्षारक पदार्थ का उपयोग करके की गई चोटें प्रकृति में गंभीर थीं और यह सोचना उचित था कि पीड़ित अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान अपने सामान्य कार्यों का पालन करने में असमर्थ था।

3.6. इसके अलावा, अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा पसंद की गई पुनरीक्षण याचिका को केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाए जाने के बाद खारिज कर दिया गया था। इसलिए यह अपील की गई है।

4. यह बताया जा सकता है कि अपील करने की अनुमति की मांग करने वाली याचिका में, अभियुक्त-अपीलकर्ता की आत्मसमर्पण से छूट की मांग करने वाली प्रार्थना को प्रारंभिक चरण में स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन 13.08.2018 को, प्रवेश के लिए मामले पर विचार करने और नोटिस जारी करते समय, इस न्यायालय ने आत्मसमर्पण से छूट देने वाले आदेश को वापस ले लिया; और इस सवाल की जांच करने के लिए भी नोटिस जारी किया गया था कि क्या कथित अपराध की प्रकृति को देखते हुए सजा बढ़ाने का कोई मामला बनता है।

5. हमने अपील के गुण-दोष के साथ-साथ सजा के सवाल पर भी पक्षकारों के वकीलों को सुना है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील की दलीलों का मुख्य मुद्दा यह रहा है कि पीड़ित पीडब्ल्यू -1 ने अपने साक्ष्य में कभी नहीं कहा कि वह 20 दिनों से गंभीर शारीरिक दर्द में था और न ही उसने कहा कि उसे विकृति का सामना करना पड़ा था; और केवल 20 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने के लिए, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था कि वह गंभीर शारीरिक दर्द में था या अपने सामान्य कार्यों का पालन करने में असमर्थ था। विद्वान वकील ने इस दलील पर जोर दिया कि डॉक्टर की राय में, पीड़ित बिना किसी सहायता के अपने सामान्य कार्यों का पालन करने में सक्षम था और इसलिए, धारा 320 आईपीसी की सामग्री स्थापित नहीं होती है। वकील ने कहा कि अपीलकर्ता बरी होने का हकदार है और किसी भी मामले में, जब घटना लगभग 22 साल पहले हुई थी और अपीलकर्ता अब 63 वर्ष का है, तो सजा में वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, प्रतिवादी के वकील ने अपीलकर्ता की ओर से उसके खिलाफ दर्ज निष्कर्षों के संदर्भ में दी गई दलीलों का विधिवत विरोध किया है।

6. पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड पर रखे गए मामले का अवलोकन करने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 326 के तहत अपराध के लिए सही तरीके से दोषी ठहराया गया है; और यद्यपि उसे दी गई सजा, एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास और 5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ, डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ, अपर्याप्तता के पक्ष में है, लेकिन, इस मामले की समग्र परिस्थितियों को देखते हुए, हम इसे बढ़ाने से बचेंगे।

7. जहां तक मूल तथ्य का संबंध है, कि अपीलकर्ता ने पीड़ित के शरीर पर एसिड डाला, यह रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से किसी भी संदेह से परे साबित होता है, जिसमें पीड़ित पीडब्ल्यू -1 और उसकी मां पीडब्ल्यू -2 की गवाही भी शामिल है। यह तथ्य कि पीड़ित के शरीर के बाईं ओर भारी एसिड जल गया था, डॉक्टर पीडब्ल्यू -8 की गवाही के साथ पढ़े गए उसकी गवाही में भी विधिवत साबित होता है। अधीनस्थ न्यायालयों के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की पूरी तरह से जांच की है और अपीलकर्ता के खिलाफ समवर्ती निष्कर्ष लौटा दिए हैं। रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, हमें ऐसे निष्कर्षों में किसी भी दुर्बलता या विकृति का कुछ भी नहीं मिलता है।

8. इस अपील में आग्रह किया गया मुख्य तर्क यह है कि यह मामला आईपीसी की धारा 320 के तहत नहीं आएगा, क्योंकि पीड़ित ने यह नहीं बताया है कि वह 20 दिनों से गंभीर शारीरिक दर्द में था और न ही उसने यह बताया कि उसे विकृति का सामना करना पड़ा है और इसके विपरीत, डॉक्टर ने कहा है कि पीड़ित बिना किसी सहायता के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान अपने दैनिक कार्यों को जारी रखने में सक्षम था। प्रस्तुतियां आधारहीन हैं और हस्तक्षेप का मामला नहीं बनती हैं, जैसा कि देखा गया है।

9. आईपीसी की धारा 320 उन चोटों के प्रकारों को निर्दिष्ट करती है जिन्हें गंभीर चोट के रूप में नामित किया गया है और निम्नानुसार है:

"धारा 320 गंभीर चोट: – निम्नलिखित प्रकार की चोट को केवल "गंभीर" के रूप में नामित किया गया है:

पहला - अनुकरण।

दूसरा - दोनों आंखों की दृष्टि का स्थायी निजीकरण।

तीसरा - दोनों कान की सुनवाई का स्थायी निजीकरण

चौथा- किसी सदस्य या संयुक्त का निजीकरण।

पांचवां- किसी सदस्य या संयुक्त की शक्तियों का विनाश या स्थायी रूप से क्षीण।

छठा- सिर या चेहरे का स्थायी रूप से विकृत होना।

सातवां- हड्डी या दांत का फ्रैक्चर या अव्यवस्था।

आठवां- कोई भी चोट जो जीवन को खतरे में डालती है या जो पीड़ित को बीस दिनों के दौरान गंभीर शारीरिक दर्द में होने का कारण बनती है, या अपने सामान्य कार्यों का पालन करने में असमर्थ होती है।

आईपीसी की धारा 326, खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए सजा प्रदान करती है, निम्नानुसार है:

"धारा 326 - स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट पहुंचाना- जो कोई भी, धारा 335 द्वारा प्रदान किए गए मामले को छोड़कर, स्वेच्छा से गोली मारने, छुरा घोंपने या काटने के लिए किसी भी उपकरण के माध्यम से गंभीर चोट पहुंचाता है, या किसी भी उपकरण के माध्यम से, जिसे अपराध के हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे मृत्यु होने की संभावना है, या आग या किसी भी गर्म पदार्थ के माध्यम से, या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ के माध्यम से, या किसी विस्फोटक पदार्थ के

माध्यम से, या किसी भी पदार्थ के माध्यम से, जिसे सांस लेना, निगलना, या रक्त में प्राप्त करना, या किसी भी जानवर के माध्यम से, आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या दस साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

10. वर्तमान मामले में, पीड़ित को लगी व्यापक चोटें, माथे, खोपड़ी, गर्दन, छाती के पीछे, बाएं नितंब और बाईं जांघ के सामने एसिड जलने के कारण घाव प्रमाण पत्र प्रदर्शनी पी /5 में स्पष्ट रूप से बताया गया है।

10.1. अपीलकर्ता द्वारा डाले गए एसिड के प्रभाव के कारण पीड़ित को उपरोक्त चोटें आईं। एसिड निस्संदेह धारा 326 आईपीसी के अर्थ के भीतर एक संक्षारक पदार्थ है। पीड़िता 50 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रही। यह कहना पूरी तरह से अवास्तविक होगा कि उसके शरीर के बाएं हिस्से में सिर से जांघ तक इतनी व्यापक एसिड बर्न चोटों और लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद, पीड़ित को 20 दिनों से अधिक की अवधि के लिए गंभीर शारीरिक दर्द नहीं हो सकता है। पीड़ित ने अपने परीक्षा-इन-चीफ में यह भी कहा कि वह अस्पताल में भर्ती होने के दौरान अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा करने में असमर्थ था; और पीड़िता के इस तरह के दावे को चुनौती देने के लिए क्रॉस-एग्जामिनेशन में कोई सुझाव नहीं दिया गया था। इन सबसे ऊपर, ट्रायल कोर्ट ने विशेष रूप से इस तथ्य पर ध्यान दिया कि पीड़ित को सिर पर स्थायी विकृति का सामना करना पड़ा था, जब अदालत में उसकी जांच की गई थी। दी गई परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों में, डॉक्टर पीडब्ल्यू -8 का यह बयान कि रोगी अस्पताल में इलाज के दौरान बिना किसी सहायता के अपने दैनिक कार्यों को पूरा कर सकता है, इस मामले के सार को दूर नहीं करता है कि मामला स्पष्ट रूप से धारा 320 आईपीसी के खंड 'छठे' और 'आठवें' के तहत शामिल था। वास्तव में, यहां तक कि डॉक्टर पीडब्ल्यू -8 ने कहा कि त्वचा के ठीक होने के दौरान कोई तत्काल विकृति नहीं थी; और यह कि निशान केवल बाद में विकसित होंगे।

11. इस बात पर शायद ही जोर देने की आवश्यकता है कि एसिड के उपयोग से गंभीर चोट पहुंचाने का कार्य, इसकी प्रकृति से, एक भयानक और भयानक है, जो गंभीर शारीरिक दर्द पैदा करने के अलावा, पीड़ित के लिए निशान और अनकहे स्थायी दुख छोड़ देता है। विधायिका ने इस तरह के अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, 2013 के अधिनियम संख्या 13 के माध्यम से, आईपीसी की धारा 326 ए और 326 बी को जोड़ा है, जिसमें एसिड के उपयोग से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने और स्वेच्छा से एसिड फेंकने या फेंकने का प्रयास करने के अपराधों के लिए न्यूनतम कारावास के साथ उच्च सजा का प्रावधान है। वर्तमान मामला वर्ष 1997 में किए गए अपराध से संबंधित होने के कारण, हमें अब डाले गए प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए, इस मामले में दी गई सजा प्रथम दृष्टया अपर्याप्त प्रतीत होती है। यही कारण था कि इस मामले पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रश्न की जांच करने के लिए नोटिस जारी किया था कि क्या सजा को बढ़ाया जाना चाहिए।

12. हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि अपराध वर्ष 1997 में किया गया था और आरोपी-अपीलकर्ता को अब 63 वर्ष की आयु का बताया गया है, हम सजा को बढ़ाने से परहेज करेंगे और मामले को केवल उसी पर छोड़ना पसंद करेंगे।

13. ऊपर जो चर्चा की गई है, उसके लिए यह अपील विफल हो जाती है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

अपील खारिज।

इला देओल, एडवोकेट